

महत्वपूर्ण
बिहार पंचायत आम
निर्वाचन 2021

पत्रांक : 6प/बि0प0नि0-01/2021.1638/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/3/2021

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले कर्मियों को अग्रिम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान वित्त विभाग से परामर्शित निम्नलिखित सारणी में अंकित दरों के अनुरूप किये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

क्र. स.	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर	मतदान/ मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/ मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1.	पीठासीन पदाधिकारी	तीन	₹500/- प्रतिदिन	तीन	₹500/- प्रतिदिन
2.	मतदान अधिकारी एक एवं दो	तीन	₹375/- प्रतिदिन	तीन	₹375/- प्रतिदिन
3.	मतदान अधिकारी तीन/ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	तीन	₹250/- प्रतिदिन	तीन	₹250/- प्रतिदिन
4.	सेक्टर पदाधिकारी/ जोनल दंडाधिकारी/ गश्ती दल दंडाधिकारी	एक	₹500/- प्रतिदिन	एकमुश्त	₹2000/- एकमुश्त
5.	सरकारी चालक	-	-	तीन	₹375/- प्रतिदिन
6.	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	₹500/- प्रतिदिन	एक	₹500/- प्रतिदिन
7.	मतगणना सहायक	एक	₹375/- प्रतिदिन	एक	₹375/- प्रतिदिन
8.	मतगणना अनुसेवक	एक	₹250/- प्रतिदिन	एक	₹250/- प्रतिदिन
9.	माइक्रोप्रेक्षक (मतदान हेतु)	एक	₹500/- प्रतिदिन	एक मुश्त	₹2000/-
10.	माइक्रोप्रेक्षक (मतगणना हेतु)	एक	₹500/- प्रतिदिन	एक मुश्त	₹500/-

11	पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक	एक	₹500/- प्रतिदिन	तीन	₹500/- प्रतिदिन
12	सहायक निरीक्षक/ हवलदार/ सिपाही	एक	₹375/- प्रतिदिन	तीन	₹375/- प्रतिदिन
13	चौकीदार/ दफादार/ दलपति/ एन0सी0सी0 कैडेट/ स्कॉट गार्ड्स	एक	₹250/- प्रतिदिन	तीन	₹250/- प्रतिदिन
14	गृह रक्षक	-	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता	-	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता
15	राज्य स्तरीय/ प्रमंडल स्तरीय/ जिला/ अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक	-	-	एक मुश्त	₹2000/-
16	पर्दानशी महिलाओं की पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी	-	-	एक दिन	₹250/-

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

2. सुरक्षित रखे गये कर्मियों को, निर्वाचन कर्तव्य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।


3. मतदान/ मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों/ सुरक्षा कर्मियों के भोजन/ नाश्ते की व्यवस्था हेतु अधिकतम ₹250.00 (दो सौ पचास रुपये) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो वहाँ ₹250.00 (दो सौ पचास रुपये) मात्र की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।

4. मतदान/ मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस/ सुरक्षा कर्मियों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता का भुगतान गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आवंटन से किया जायेगा।

5. यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गयी राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1011 दिनांक-17.02.2009 के अनुसार किया जायेगा।

इसकी सूचना कृपया सभी संबंधितों को दे दी जाये।

विश्वासभाजन



निदेशक

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12/3/2021

ज्ञापांक : 6प/बि0प0नि0-01/2021.1638/पं0रा0

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना